



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 21 मार्च 2023

थाना सलेमपुर

शातिर हत्यारा अवैध असलहा, कारतूस सहित गिरफ्तार

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 20.03.2023 को थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर ग्राम याकूबपुर बम्बे की पुलिसिया के पास से अभियुक्त सुजान को अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. सुजान पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना जवां जनपद अलीगढ़।

बरामदगी-

1. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का हत्यारा है जिसके द्वारा पूछताछ पर बताया कि उसने वर्ष- 1994 में अपने पिता कुंवरपाल के साथ मिलकर अपने गांव निवासी नरेन्द्र पुत्र होडल की हत्या कर दी थी जिसमें वह जेल काट चुका है तथा वर्ष- 2016 में उसके द्वारा कुशलपाल पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम भीमगढ़ी थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ की गले में रस्सी से फांसी लगाकर हत्या कर शव को थाना लोधा जनपद अलीगढ़ क्षेत्रान्तर्गत फेक दिया गया था। इस संबंध में थाना गोधा पर मुअसं- 217/16 धारा 302/201/404 भादवि पंजीकृत है। इस अभियोग में अमर सिंह पुत्र रौदास निवासी ग्राम राइट थाना गोधा जनपद अलीगढ़ के परिवार द्वारा उसकी जमानत करायी गयी थी। दिनांक 16.01.2021 को उसके द्वारा अमर सिंह उपरोक्त को बहाने से अलीगढ़ से जनपद बुलन्दशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सोरखा के जंगल में लाकर हत्या कर दी गयी तथा उसकी पहचान छिपाने के लिए उसकी शर्ट चेहरे पर रखकर आग लगा दी तथा वहां से फरार हो गया था जिसके संबंध में थाना अहमदगढ़ पर मुअसं- 39/21 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत है तथा वह अपनी पहचान छिपाने के लिए पिछले 02 वर्ष से सलेमपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम याकूबपुर में चामुंडा मंदिर में रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सलेमपुर पर मुअसं-54/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त सुजान का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं- 75/94 धारा 302 भादवि थाना जवां जनपद अलीगढ़
- 2- मुअसं- 12/99 धारा 379/411 भादवि थाना जवां जनपद अलीगढ़
- 3- मुअसं- 13/99 धारा 307 भादवि थाना (पुलिस मुठभेड) थाना जवां जनपद अलीगढ़।
- 4- मुअसं-14/99 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना गोधा जनपद अलीगढ़।
- 5- मुअसं-118/12 धारा दहली गेट जनपद अलीगढ़।
- 6- मुअसं-85/04 धारा 307 भादवी थाना गोधा जनपद अलीगढ़।
- 7- मुअसं-86/04 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना गोधा जनपद अलीगढ़।
- 8- मुअसं-217/16 धारा 302/201/404 भादवि थाना गोधा जनपद अलीगढ़।
- 9- मुअसं-39/21 धारा 302/201 भादवि थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर।
- 10- मुअसं-54/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री पम्मी चौधरी थानाध्यक्ष सलेमपुर
2. उ0नि0 सर्वेश कुमार
3. का0 कपिल कुमार, का0 आकाश कुमार, का0 लालता प्रसाद



मीडिया सैल बुलन्दशहर